(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर
अदालत दयानन्द रुपल आर.ए.एस.

मु.न. / रा.वा. / 86 / 2011

निर्णय दिनांक 9/10/15

रुघाराम पुत्र माइराम जाति जाट निवासी कालवास
तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर

— वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर
जिला बीकानेर

— प्रतिवादी

उपस्थित (1) श्री लालचन्द जाट अभिभाषक वादी
(2) पैरोकार राज स्टेट की ओर से

दावा बाबत रोही कालवास के ख.न. 51 मीन 1 तादादी 19 बीघा भूमि सम्वत 2032 के आवंटन के आधार पर अर्जित व निहित खातेदारी हक हकूको की घोषणा व नियमन अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सहपठित धारा 136 LRAct

निर्णय

आज यह फाइल पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। वादी की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सहपठित धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर रोही मौजा कालवास के खसरा नम्बर 51 मिन 1 तादादी 19 बीघा भूमि सम्वत 2032 के आवंटन के आधार पर अर्जित व निहित खातेदारी हक हकूको की घोषणा करने आधार पर अर्जित व निहित खातेदारी हक हकूको की घोषणा करने व गैर मुमकिन ... के स्थान पर वादी का नाम स्थापित
प्रविष्टि प्रविष्टि मतालीराम के स्थान पर वादी का नाम स्थापित

फरीन काबत पेश किया। वादी के नाम ग्राम कालवास के ख.नं. 51 किन्ते के तादादी 19 बीघा भूमि सम्वत 2032 मे आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया था जिस पर वादी आदिनांक तक काबिज होकर काश्त करता आरहा है। वादी गन रकबा सम्वत 2032 से 2034 तक वादी के नाम दर्ज रहा तत् पश्चात उक्त रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से राजस्व क्षेत्र मे आजाने पर प्रतिवादी की गलती से रिकार्ड में वादी का लेखा आराजीराज दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के नाम दर्ज करना चाहिये था।

प्रतिवादी द्वारा सम्वत से राज्य सरकार के निर्देशों के विपरीत वादी के नाम के स्थान पर आराजीराज दर्ज कर दिया गया है जो वादी के अधिकारो के समक्ष प्रभावहीन व शून्य है। इसलिये जैवाद रकबा पर वादी को काबिज बतलाकर घोषित कर दुरुस्ती के जरिये रिकार्ड मे प्रतिवादी के स्थान वादी का नाम स्थापित कर तदनुसार रिकार्ड मेन्टेन करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जावे जिसका अधिकारी वादी है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी स्टेट की ओर जवाबदावा मे बिन्दु संख्या 2 को आंशिक स्वीकार कर शेष सभी बिन्दुओ को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा खारिज हेतु निवेदन किया।

वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर निम्नानुसार वाद बिन्दु कायम किये गये :-

(1) आया वादी मौजा रोडी ग्राम कालवास के ख.नं. 51 मीन तादादी 19 बीघा भूमि टी.सी. आवंटन बही नम्बर 44/53 सावटो अर्जित-निहित खातेदारी अधिकारो की के आधार पर घोषणा कराने का हकदार है। — जिम्मेवारी

(2) आया वादी बाद गत भूमि राजस्व रिकार्ड मे आराजीराज की जगह अपने नाम दुरुस्त कराने का हकदार है। — जिम्मेवारी

(3) आया वादी वादग्रस्त भूमि बाबत प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

(4) आया वादग्रस्त भूमि सम्वत 2034 में वादी की टी.नं.: अथवा नवीनीकरण नहीं हुआ तथा बाद में उक्त भूमि अन्य को आवंटन होगया इसलिये वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त नहीं है। अतः वादी हितईच्छा की घोषणा का हकदार नहीं है। दावा खारिज फरमाया जावे।

— जिम्मे प्रतिवादी

(5) आया वाद वादी धारा 80 सीपीसी के नोटिस के अभाव में संधारण योग्य नहीं है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

— जिम्मे प्रतिवादी

(6) दादरसी।

कायमशुदा विवाद्यक उभय पक्ष को समझाया पढ़ाई तथा वादी को शहादत पेश करने के अवसर प्रदान किये गये। वादी की ओर से वादपत्र के समर्थन में खसरा गिरदावरी सम्वत 2032 से 2034 ग्राम कालवास के खसरा नम्बर 51/3 तादादी 49.15 बीघा की प्रमाणित प्रतियां पेश की जो क्रमशः EX-1 व EX-2 है। EX-3 धारा 91 की मूलप्रति पेश की। साक्ष्य में शपथ पत्र स्वयं वादी भगवान सहाय पुत्र धूलजी व चिमनराम पुत्र रूपाराम के शपथ पत्र पेश किये जिन पर जिरह प्रतिवादी दर्ज की गई। वादी द्वारा अन्य कोई शहादत पेश नहीं करने पर शहादत वादी बन्द की जाकर प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने के अवसर प्रदान किये गये। प्रतिवादी द्वारा कोई शहादत पेश नहीं की जाकर बहस चाही गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लालचन्द की बहस है कि वादग्रस्त भूमि रोही मौजा कालवास के खसरा नं. 51 मीन की तादादी 19 बीघा एवं

उपखण्ड अधिकारी

साला आवंटन/उपनिवेशन विभाग द्वारा किया गया था सम्वत 2032 से 2034 तक उक्त भूमि का चिन्हेन्ता नवीनीकरण होता रहा है जिसकी खसरा गिरदावरीयां की प्रमाणित प्रतियां पेश की है जो EX-1 व 2 है। सम्वत 2036 में उक्त रकबा उपनिवेशन से राजस्व क्षेत्र घोषित हो जाने पर वादी के नाम के स्थान पर आवंटनी राज दर्ज कर दिया गया जबकि राज्य सरकार के परिपत्र प-3 (127) उपनि/78 दिनांक 3-1-1979 व प-3 (124) राजस्थान/उपनि/दिनांक 4-1-1981 द्वारा टी.सी. आवंटियों को तीन साल से अधिक समय हो जाने पर खातेदारी/गैरखातेदारी अधिकार जारी कर सरकारीराज के स्थान पर टी.सी. आवंटियों के नाम दर्ज किया जाना था जबकि तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त के बावजूद वादग्रस्त भूमि को सरकारीराज दर्ज कर दिया जो वादी के अधिकारों के विरुद्ध प्रभावहीन एवं शून्य है। अतः वादी को वादग्रस्त भूमि का काबिज काश्तकार घोषित कर दुरुस्ती के जरिये रिकार्ड में वादी के ~~नाम~~ नाम का इन्द्राज करने के आदेश जारी किया जावे।

वकील वादी की बहस के अनुसार व प्रतिवादी राज का कथन है कि वादग्रस्त भूमि वादी को 1 साला टी.सी. पर उपनिवेशन विभाग द्वारा दिया गया था जिसका 2034 तक नवीनीकरण हुआ। सम्वत 2036 तक काश्त दर्ज है। सम्वत 2037 में वादग्रस्त भूमि अन्य व्यक्ति को आवंटन कर दी थी अलॉट कर दी जिसका नोटखाना कैफियत गिरदावरी सं. 2037 में लगा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त का कथन मिथ्या व रेकार्ड से साबित नहीं होता है। उपनिवेशन से राजस्व क्षेत्र घोषित होने पर वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त साबित नहीं होता है जिसका वाद वादी रिकार्ड से साबित नहीं होता है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभय पक्ष का मनन किया पत्रावली

उप खण्ड अधिकारी

रिपोर्ट व जवाब प्रतिवादी का अध्ययन किया। रिकार्ड के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादी को बाबत भूमि चक ग्राम कालवास गत खसरा नं. 51 मीन जिसमें खातेदारी खसरा नं. 93 तादादी 1-67 है० खसरा नं. 147 तादादी 2.49 है० कब्जे है पर वादी का सम्वत 2034 के पश्चात निरन्तर कब्जा काश्त साबित नहीं होता है। सम्वत 2037 के बाद भूमि प्रश्नगत ख.नं.51 मीन की शुद्धि बाबत तहसील कार्यालय में आवंटन होना प्रस्तुत रिकार्ड से साबित है तथा यह भी साबित होता है कि प्रश्नगत भूमि आवंटियों दर्ज होने के बाद वादी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी साबित नहीं होता है।

लिहाजा वाद वादी खसरा नं. को आवंटन होने व वादी का निरन्तर कब्जा काश्त के अभाव में खारिज किया जाता है। फाइल बाद निर्णय में शामिल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/10/25 को नैराना लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : दयानन्द रूयल आरएएस

रूघाराम बनाम सरकार

दावा अंतर्गत धारा 88,89, 92 क,188 आरटीए,136 एलआरए

मुकदमानम्बर : 86/2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील श्री लालचन्द जाट** मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद पत्र प्रस्तुत दस्तावेज एवं बहस के आधार पर वाद पत्र के तथ्य साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है ।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीससदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से मजमाआम में आज दिनांक 04.10.2025 को मेरे द्वारा डिक्री जारी की गई।

(दयानंद रूयल)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर